क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम– Convergence Meeting with Health, PRI, ICDS & PHED Department

बजट/एफ.एम.आर. शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – Orintation workshop and Capacity building of PRI at State, Division, District and PHC.

बजट क्रम संख्या/एफ.एम.आर. कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) B8.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकतम)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) एवं ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (VHSND) अंतर्विभागीय (स्वास्थ्य, समाज कल्याण–आई.सी.डी.एस., पंचायती राज एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन) समन्वय के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है।

प्रधान सचिव समाज कल्याण एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किए गए पत्र संख्या 24613 दिनांक 15/03/2011 में ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) की बैठक पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह के अन्तिम शनिवार को आयोजित किये जाने का निदेष है। इस बैठक का उद्देष्य ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) में उपलब्ध राषि की उपयोगिता बढ़ाना एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सुचकांको में सुधार लाना है। इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिषन में गांव के स्तर पर अंतर्विभागीय समन्वयन स्थापित कर समुदाय को स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षात्मक एवं प्रोत्साहक सेवाएं उपलब्ध कराने की अवधारणा है। जिसे प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रो पर महिने में एक बार स्वास्थ्य, समाज कल्याण– आई, सी, डी.एस, पंचायती राज, एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन के सहयोग से आयोजित किया जाना हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केन्द्रो पर स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित सेवाए प्रदान करना है। VHSNC की मासिक बैठक जो प्रत्येक माह के अन्तिम शनिवार को पंचायत स्तर पर निर्धारित है तथा VHSND जो आंगनबाड़ी केन्द्रों पर महिने मे एक बार आयोजित किया जाता है, पूर्णतः अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना है। इन दोनो कार्यक्रम के गुणवत्तापूर्ण तरीके से क्रियान्वयन के लिए आवष्यक है कि राज्य, प्रमण्डल, जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर संबंधित विभागो के पदाधिकारियो की बैठक आयोजित की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013–14 में भारत सरकार द्वारा अंतर्विभागीय समन्वय बैठक राज्य स्तर से प्रखण्ड स्तर तक आयोजित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

ईकाई राशिः

Convergence/review meeting at Division, District and Block level.

- **Divisional Level: -** @Rs.4000-Bi-annual per District consolidate fund for Divisional convergence/review meeting under the Chairmanship of Divisional Commissioner.
- **District Level:** - @ Rs.5000-Bi-annual per District Convergence/Review meeting under the chairmanship of District magistrate.
- **Block level:-** @ Rs.500/Qtr/Block. Convergence/review meeting with Block officials of Health, ICDS, PHED & PRI.

13/7/13

वित्तीय दिशा–निर्देश
उक्त राशि निम्नांकित कार्यो में खर्च किये जा सकते है:–

- **प्रमण्डलीय अन्तर्विभागिय समन्वय बैठक:**– प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में साल में दो बार अन्तर्विभागिय समन्वय बैठक आयोजित किया जाना है। जिसमें उक्त प्रमंडल के अन्तर्गत प्रमंडल स्तरीय तथा जिले स्तर के संबंधित विभागों (स्वास्थ्य, समाज कल्याण–आई.सी.डी.एस., पंचायतीराज एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन) के पदाधिकारी भाग लेगें। प्रमंडल स्तर से उपनिदेषक , स्वास्थ्य सेवाएं, क्षेत्रिय कार्यक्रम प्रबंधक, क्षेत्रिय समन्वयक– आषा, क्षेत्रिय अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पदाधिकारी तथा संबंधित विभागों के प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी। जिला स्तर से – जिला पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी– आई.सी. डी. एस., डी. पी. आर. ओ., जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, पी. एच. ई. डी. के पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, जिला अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पदाधिकारी भाग लेगें। इस बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, जिलावार अद्यतन प्रगति, कठिनाईयां एवं क्रियान्वयन बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की जायेगी। क्षेत्रिय कार्यक्रम प्रबंधक/क्षेत्रिय समन्वयक– आषा की यह जवाबदेही होगी कि FMR Code A1.3.2 एवं FMR Code B15.1.4.1 मे वर्णित पदाधिकारियो के अनुश्रवण से संबंधित विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों के द्वारा भ्रमण प्रतिवेदनों को विश्लेषित कर बैठक में प्रस्तुत करेगें। इस बैठक को साल में 2 बार आयोजित करने हेतु प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई को रूपये 4000 प्रति जिला प्रति बैठक की दर से राषि उपलब्ध कराई जा रही है।
- **जिला अन्तर्विभागिय समन्वय बैठक:**– जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में साल में 2 बार अन्तर्विभागिय समन्वय/ समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया जाना है जिसके लिए प्रत्येक बैठक हेतु 5000 रुपये की अधिकतम राशि निर्धारित है। जिसमें संबंधित विभागों (स्वास्थ्य, समाज कल्याण–आई.सी.डी.एस., पंचायतीराज एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन) के संबंधित जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी भाग लेगें। जिला स्तर से सिविल सर्जन, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी– आई.सी. डी. एस., डी. पी. आर. ओ., जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, पी. एच. ई. डी. के पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, जिला योजना समन्वयक, जिला अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पदाधिकारी भाग लेगें। प्रखण्ड स्तर से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक, प्रखण्ड लेखापाल, स्वास्थ्य प्रषिक्षक भाग लेंगें। जिसमें इस कार्यक्रम की रूपरेखा, प्रखण्डवार उपलब्धि, कठिनाईयां एवं क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं समाधान बिन्दु पर विस्तृत चर्चा की जायेगी। जिला सामुदायिक उत्प्रेरक /जिला कार्यक्रम प्रबंधक की यह जवाबदेही होगी कि FMR Code A1.3.2 एवं FMR Code B15.1.4.1 मे वर्णित पदाधिकारियो के अनुश्रवण से संबंधित विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों के द्वारा भ्रमण प्रतिवेदनों को विश्लेषित कर बैठक में प्रस्तुत करेगें।
- **प्रखण्ड अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक:**– प्रखण्ड स्तर पर भी प्रत्येक त्रैमासिक बैठक आयोजित किया जाना है। जिसमें प्रखण्ड प्रमुख, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पी. एच. ई. डी. के प्रतिनिधि, प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक, प्रखण्ड लेखापाल, स्वास्थ्य प्रषिक्षक के आलावा 2 ए. एन. एम., 2 आंगनबाड़ी सेविका तथा 2 आषा भाग लेगें। प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक/ प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक की यह जवाबदेही होगी कि FMR Code A1.3.2 एवं FMR Code B15.1.4.1 मे वर्णित पदाधिकारियो के अनुश्रवण से संबंधित विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों के द्वारा भ्रमण प्रतिवेदनों को विश्लेषित कर बैठक में प्रस्तुत करेगें। जिसमें पंचायतवार ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) की मासिक बैठक एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रवार तथा इसके अन्तर्गत आगंनबाड़ी केन्द्रो पर आयोजित की

13/7/13

जा रही ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस कार्यक्रम की उपलब्धि, रिर्पोटिंग, मॉनिटरिंग, कठिनाईयां तथा सहभागिता कैसे सुनिष्चित किया जाये ताकि शत प्रतिषत उपलब्धि हासिल किया जाये।

इस त्रैमासिक बैठक को आयोजित करने के लिए रूपये 500/त्रैमासिक राषि उपलब्ध करायी जा रही है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं– तिथि के साथ उल्लेखित करें) पत्र संख्या– 24613 दिनांकः– 15.03.11, पत्र संख्या– 25601 दिनांकः– 25.04.11, पत्र संख्या– 31860 दिनांकः– 30.11.2011, पत्र संख्या– 32854 दिनांकः– 29.12.2011, पत्र संख्या– 981 दिनांकः– 03.01.2012, पत्र संख्या– 2107 दिनांकः– 05.03.2012, पत्र संख्या– 2621 दिनांकः– 26.03.2012, पत्र संख्या– 4418 दिनांकः– 23.05.2012, पत्र संख्या– 4619 दिनांक– 06.06.2012,

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम– श्री रंजीत समैयार
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर– 09470003025

FMR Code – B 8.2

13/7/13